निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी : श्यामसुन्दर बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 05/2021 विविध प्रा.पत्र (2021/64)

अन्तर्गत

1- शंकरलाल पिता रामलाल जाट निवासी अरनियापंथ

2. मधुसूदन पिता सुरेशचन्द्र पालीवाल नि० सी- 146 प्रतापनगर चित्तौड़गढ़ — प्रार्थीगण

बनाम

1- सोलाल पिता बोतलाल जाट निवासी अरनियापंथ

2- राज्य जरिए तहसीलदार चित्तौड़गढ़

3- शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा - शम्भुपुरा तहसील चित्तौड़गढ़ — विपक्षीगण

2021/64

कार्यवाही : प्रत्यास्थापना अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी.

उपस्थिति : ममता जीनगर अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 16/2/2022

संक्षिप्त विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. विरुद्ध विपक्षीगण इस आशय का प्रस्तुत किया कि विपक्षी संख्या एक सोलाल ने राज० काश्तकारी अधिनियम की धारा 88-89, 188 के तहत एक वाद प्रार्थी[illegible] अरनियापंथ की नवीन आ.नं. 233 रकबा 0.47 हे. [illegible] प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण [illegible] 19/1[illegible] न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक [illegible] [illegible]लोच्य निर्णय [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.03.11 11:00:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते जिला चित्तौड़गढ़

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

9-10-2015 को पारित किया गया, जिसकी अपील प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी चित्तौड़गढ़ के समक्ष पेश की। अपीलीय न्यायालय द्वारा प्र.सं. 76/2016 मे दिनांक 14/10/2020 को निर्णय पारित किया गया कि अपील अपीलार्थ स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ का निर्णय एवं डिक्री 30/7/2015 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 09/10/2015 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण मे प्रतिवादीगण / प्रार्थीगण का जवाब लेकर एवं पुन: सुनवाई का समुचित अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें।

इस न्यायालय के निर्णय से पूर्व उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी संख्या 2 मधुसुदन पिता सुरेशचन्द्र पालीवाल के नाम दर्ज थी परन्तु इस न्यायालय के निर्णय की पालना मे विपक्षी संख्या 1 लालाल पिता मोतलाल के नाम पर जमाबन्दी मे दर्ज कर दी गयी। इसलिए राजस्व अपील अधिकारी चित्तौड़गढ़ के निर्णय के अनुसार इस न्यायालय के निर्णय से पूर्व जो स्थिति राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे थी उसी अनुसार प्रार्थी संख्या 2 मधुसुदन के नाम दर्ज कायम करने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत है।

अत: इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/7/2015 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 09/10/2015 से पूर्व उक्त आराजी प्रार्थी संख्या 2 मधुसुदन के नाम दर्ज थी, इसलिए राजस्व अपील अधिकारी चित्तौड़गढ़ के निर्णय अनुसार इस न्यायालय से पूर्व जो स्थिति राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे थी उसी अनुसार प्रार्थी संख्या 2 मधुसुदन के नाम दर्ज कायम करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण दर्ज [illegible] विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया [illegible] की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। विपक्षी संख्या 1 [illegible] बावजूद सूचना

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.03.11 11:00:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध दिनांक 16/12/2021 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस प्रकरण में सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन कर प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन कर अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर गम्भीरता से मनन किया। इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 19/2013 में दिनांक 30/7/2015 को पारित निर्णय व डिक्री तथा दिनांक 09/10/2015 को ~~पारित~~ संशोधित निर्णय पारित किया गया; जिसकी पालना में डिक्रीदार सोलाल का नाम राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज हुआ। इस न्यायालय के उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध प्रतिवादीगण। प्रार्थीगण द्वारा अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स की अपील संख्या 78/2016 में दिनांक 14/10/2020 को निर्णय पारित कर अपील स्वीकार कर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 30/7/2015 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 09/10/2015 को अपास्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया, जिससे प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड में इस न्यायालय के निर्णय से पूर्व की स्थिति कायम कराना चाहते है।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ के 14/10/2020 निर्णय के विरुद्ध विपक्षी सोलाल द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील प्रस्तुत की है। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार मा० राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में उक्त अपील संख्या 4505/2020 विचाराधीन होकर सुनवाई दिनांक 27/4/2022 नियत है। मा० न्यायालय राजस्व मण्डल [illegible] अजमेर का प्रकरण में कोई स्थगन आदेश [illegible] स्थिति में धारा 144 सी.पी.सी. के [illegible] प्रार्थीगण द्वारा चाही गयी प्रत्यास्थापन संबंधी कार्यवाही की जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.03.11 11:00:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

उचित प्रतीत होता है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. स्वीकार योग्य पाया जाने से। स्वीकार किया जाकर ग्राम अरनियापंथ तहसील चित्तौड़गढ़ की नवीन आराजी नम्बर 2 233 रकबा 0.47 के सम्बन्ध में इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 19/13 में पारित निर्णय दिनांक 30/7/2015 एवं संशोधित निर्णय 09/10/2015 की पालना में राजस्व रेकार्ड में परिवर्तित इन्द्राज निरस्त कर उक्त निर्णय से पूर्व की स्थिति बहाल किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जावे। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को प्रेषित की जावे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते जिला चित्तौड़गढ़

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.03.11 11:00:28 IST
Reason: SelfAttested